यायालय उपखण्ड़ अधिकारी लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

ाठासीन अधिकारीः– श्री धर्मेन्द्र वर्मा आर.ए.एस

करण संख्याः–102/2022

तारीख दायर–09.12.2022

तारीख–निर्णय– 29/8/2024

1. श्री धुला पिता कालु मीणा निवासी चितावडीफला (लसाडिया) तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
2. (1) श्री रामा पिता भेरा मीणा निवासी चितावडीफला (लसाडिया) तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

   (2) श्री रमेश पिता भेरा मीणा निवासी चितावडीफला (लसाडिया) तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

   (3) श्री प्रकाश पिता भेरा मीणा निवासी चितावडीफला (लसाडिया) तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

   (4) श्रीमती मावली पत्नी भेरा मीणा निवासी चितावडीफला (लसाडिया) तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

   (5) श्रीमती पुनमी पुत्री भेरा मीणा निवासी चितावडीफला (लसाडिया) तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

   (6) श्रीमती केशरी पुत्री भेरा मीणा निवासी चितावडीफला (लसाडिया) तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
3. श्री शंकर पिता कालु मीणा निवासी चितावडीफला (लसाडिया) तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
4. श्री मांगीलाल पिता कालु मीणा निवासी चितावडीफला (लसाडिया) तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

........प्रार्थीगण

बनाम

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

...........अप्रार्थी

उपस्थित–प्रार्थी की ओर से– अधिवक्ता श्री पुष्कर लाल मीणा

अप्रार्थी की ओर से–श्री राजपेरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

–: :निर्णय : :–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के स्वत्व, आधिपत्य की कृषि भूमि मौजा बोर का पानी, पटवार हल्का ओवरा भू.अ.निरीक्षक देवलीया तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.) के खाता संख्या नया 110 व पुराना 110 में वर्णित आराजी संख्या 126/17 हकत रकवा 1.1664 है. भूमि स्थित है। जो प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। उक्त आराजी संख्या 126/17 प्रार्थीगण द्वारा आवंटी से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया । वक्त आवंटन आवंटियों को जहां कब्जा सुपुर्द किया कर बिठाया गया था उसी जगह आवंटी काबिज होकर काश्त करते चले आ रहें थें एवं भूमि क्रय करने के पश्चात् विक्रेता द्वारा बताये मौके पर ही प्रार्थीगण काविज होकर काश्त कर रहें है। आराजी नम्बर 126/17 रकबा 1.1664 हैक्टेयर हकत की भूमि को प्रार्थीगण संख्या 01 से 03 तक के पिताजी व प्रार्थी 04 के दादाजी ने केशिया

पिता अमरा मीणा निवासी लसाडिया से 17.12.1977 को जमीन उस समय से कब्जा प्राप्त कर लगातार उक्त भूमि पर खेती कर रहें है। एवं जब से कब्जा प्राप्त किया तव से भूमि पर रहने के लिये मकान भी बना रखें है। जमाबन्दी सम्वत् 2051–54 तक आराजी नम्बर का इन्द्राज सही था परन्तु जमाबन्दी सम्वत् 2055–58 के दौरान त्रुटीवश आराजी नम्बर 126/17 के स्थान पर 127/17 इन्द्राज हो गया जो एक लिपीकीय की त्रुटी या भुल वश से आराजी नम्बर न.126/17 रकबा 1.1664 हकत की जगह जमाबंदी में 127/17 रकबा 1.1664 हकत में लिपीकीय त्रुटी को दुरस्त करना नितान्त आवश्यक है। वाद गस्त आराजी मौजा बोर का पानी पटवार हल्का ओवरा तहसील लसाडिया में स्थित होकर आप न्यायालय के क्षैत्राधिकार में होने से आप न्यायालय में प्रार्थना पत्र की सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः निवेदन किया गया की प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में सही आराजी दर्ज करने का आदेश फरमावे जहां पर वर्तमान में प्रार्थीगण कब्जेकाश्त कर रहें है।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किये गये। अप्रार्थी द्वारा प्रकरण में जवाब पेश कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम बोर का पानी पटवार हल्का ओवरा भू.अ.निरीक्षक देवलीया तहसील लसाडिया के आराजी नम्बर 127/17 रकबा 1.1664 हैक्टेयर भूमि खातेदार श्री धुला,भेरा,शंकर पिता कालु व मांगीलाल पिता रूपा के नाम दर्ज है। नामान्तरण संख्या 224 द्वारा बिकाव से आराजी नम्बर 126/17 कालु पिता लखमा के नाम दर्ज हुई । जमाबन्दी सम्वत् 2051–54 तक आराजी नम्बर का इन्द्राज सही था परन्तु जमाबन्दी सम्वत् 2055–58 के दौरान त्रुटीवश आराजी नम्बर 126/17 के स्थान पर 127/17 इन्द्राज हो गया वर्तमान में प्रार्थी खातेदार मूल एवं सही आराजी नम्बर 126/17 रकबा 1.1664 हैक्टेयर भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहें है। परन्तु वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में उक्त आराजी नम्बर 126/17 धनकी पत्नी धर्मा वगैराह के नाम रेकॉर्ड में दर्ज है। उक्त खातेदारों धनकी पत्नी धर्मा वगैराह के जमाबन्दी सम्वत् 2067–70 में आराजी नम्बर 126/12 ख रकबा 8 बीघा दर्ज था परन्तु जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में लिपिकीय त्रुटी से आराजी नम्बर 126/12 ख के स्थान पर 126/17 इन्द्राज हो गया जो गलत है। वर्तमान में प्रार्थीगण धुला ,भेरा, शंकर पिता कालु मांगीलाल पिता रूपा भेरा फोत हो जाने से उनके विधिक वारिसान रामा, रमेंश, प्रकाश, मावली (पत्नी), पुनी, केशरी, के नाम दर्ज आराजी नम्बर 127/17 जमाबन्दी सम्वत् 2054–58 के समय लिपिकीय त्रुटी से है. प्रार्थी की मुल आराजी नम्बर 126/17 सही है तत्पश्चात् प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में वही कथन कहें है, जो अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किये गये है।

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया । पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी के अवलोकन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है।

वर्तमान मौके अनुसार वर्तमान में प्रार्थीगण धुला ,भेरा, शंकर पिता कालु मांगीलाल पिता रूपा, भेरा फोत हो जाने से उनके विधिक वारिसान रामा, रमेंश, प्रकाश, मावली (पत्नी), पुनी, केशरी, के नाम दर्ज आराजी नम्बर 127/17 रकबा 1.1664 हेक्टेयर गलत इन्द्राज की बजाय सही आराजी नम्बर 126/17 रकबा 1.1664 हैक्टेयर राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। आदेशानुसार पालना किये जाने हेतु तहसीलदार लसाडिया को लिखा जावें। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 29/8/25 .को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Db

(धर्मेंद्र वर्मा RAS)

उपखण्ड अधिकारी

लसाडिया जिला सलुम्बर(राज.)